

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरौही

(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित \*अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. भेराराम मीना पुत्र श्री तोलाराम मीना, जाति- मीना, निवासी- मीनों का वास, पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला-सिरौही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर)
  2. श्रीमती पूनम गोयल पत्नी श्री आनन्द गोयल, आदर्श कॉलोनी, सुमेरपुर, जिला-पाली (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
- फर्म:- विमल बेवरेजेज, जी 28 ए, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला-सिरौही

प्रकरण संख्या: 01/2019

“अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006”


-: निर्णय :-

दिनांक 06 नवम्बर, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 19.6.2018 को समय 4.00 पी.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म विमल बेवरेजेज, जी 28 ए, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला- सिरौही पर पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति भेराराम मीना पुत्र तोलाराम मीना, जाति- मीना, निवासी- मीनों का वास, पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही है एवं उक्त फर्म विमल बेवरेजेज, जी 28 ए, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला- सिरौही पर मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता के उपयोग हेतु पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं प्लान्ट के स्टोर में बिक्री हेतु मौजूद पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) के पैकड कार्टूनों 50 (प्रत्येक 12x1 लीटर) में से 16x1 लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) शुद्धता की जांच हेतु खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 96/- अदा कर खरीद रसीद विल प्राप्त किया। खरीद रसीद बिल पर खाद्य कारोबारकर्ता व उपस्थित गवाह और मेरे हस्ताक्षर हैं। फार्म संख्या- 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर

.....पेज दो पर





प्रांत. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001.



रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरियल नं. दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा नमूना बोतलों के 4-4 बोतलों को मिलाकर टेप से चिपकाया एवं चार पैकेट बनाये। चारों नमूना पैकेट पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-796 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपड़ी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.6.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सीलड लिफावा श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 19.6.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता भेराराम मीना से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) का नमूना S-796 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुमाने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के समक्ष न्याय निर्णय

.....पेज तीन पर



प्रति. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001.

आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादीगण अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 06.11.2020 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंने प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी विमल बेवरेज का कभी भी मैनेजर नहीं रहा है एवं न ही मैनेजर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है व न ही कोई सेम्पल लिया है। उक्त प्रकरण जिस सेम्पल के आधार पर दर्ज करवाया गया है वह सेम्पल दिनांक 12.9.2018 को लिये गये थे, जबकि उक्त कार्यवाही दिनांक 19.6.2018 को की जाना बताई जा रही है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में जो सेम्पलिंग टेस्टिंग हेतु भेजे गये थे, वे विमल बेवरेज के नहीं थे। यह कि दिनांक 20.6.2018 को जो नमूने का एक भाग खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त परिवाद मुल्जिमान के विरुद्ध पेश न कर दूसरे किसी नमूना सेम्पलिंग दिनांक 12.9.2018 की जांच रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया है, जो की विमल बेवरेज का नहीं है, जिसकी पैकिंग तारीख 6.8.2018 है, जबकि तथाकथित प्रार्थी द्वारा जांच दिनांक 19.6.2018 को की जाना बताया गया है। उक्त परिवाद दूसरे सेम्पलिंग की रिपोर्ट के आधार पर किया जाकर उक्त परिवाद के जरिये अप्रार्थीगण को गलत रूप से मुल्जिमान बनाया गया है। अप्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी ने गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया है, इसलिये प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जावे।

(4) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.6.2018 को 3.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म विमल बेवरेजेज, जी 28 ए, रिकको इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला- सिरौही पर गये। वहां उक्त फर्म विमल बेवरेजेज, जी 28 ए, रिकको इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला- सिरौही पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से भेराराम मीना पुत्र तोलाराम मीना, जाति- मीना, निवासी- मीनों का वास, पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल

.....पेज चार पर




6/11/2020  
प्रति. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001.

ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म विमल बेवरेजेज, जी 28 ए, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला- सिरौही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही एवं श्री मोहनलाल घांची पुत्र हिम्मतमल जी, निवासी- घांचियों का मोहल्ला, शिवगंज, जिला- सिरौही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता भेराराम मीना को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा विमल बेवरेजेज प्लान्ट के स्टोर में बिक्री हेतु मौजूद पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) की 50 पैकड कार्टूनों (12x1लीटर) में से 16x1 लीटर पैकड बोतलों पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) की खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 96/- (अक्षरों रुपये छियानवे मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता भेराराम मीना व उक्त गवाहों तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के कोड एवं क्रमांक S-796, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता भेराराम मीना व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-796 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता भेराराम मीना व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर करवाये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता भेराराम मीना व उक्त गवाहों तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म श्री विमल बेवरेजेज, जी 28 ए, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला- सिरौही में खाद्यकारोबारकर्ता व मैनेजर भेराराम मीना से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) की 16 पैकड बोतलों (प्रत्येक 1 लीटर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

....पेज पांच पर



  
प्रति. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001.

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पेंहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील करके समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से लिफावों में रखकर लिफावों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा दिनांक 20.6.2018 को श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को दिनांक 19.6.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-796 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./455/Act/2018/476 दिनांक 29.6.2018 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म विमल बेवरेजेज, जी 28 ए, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला- सिरौही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर भेराराम मीना से वास्ते जांच क्रय किया गया पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुमाने योग्य अपराध है।

प्रकरण में प्रतिवादी भेराराम मीना पुत्र श्री तोलाराम मीना, फर्म विमल बेवरेजेज, जी 28 ए, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला- सिरौही को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2018/4362-64 दिनांक 18.7.2018 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाकर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में प्रारूप 8 में अपील आवेदन 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन प्रतिवादीगण ने अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त फर्म विमल बेवरेजेज, जी 28 ए, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला- सिरौही की मालिक प्रतिवादी संख्या-2 है। ऐसी स्थिति में, मिथ्याछाप (Misbranded) पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (शितल ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु प्रतिवादी संख्या-2 ही दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की

....पेज छः पर



प्रति. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001

धारा- 52 के तहत प्रतिवादी श्रीमती पूनम गोयल पत्नी श्री आनन्द गोयल, आदर्श कॉलोनी, सुमेरपुर, जिला- पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, विमल बेवरेजेज, जी 28 ए, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला- सिरौही, पर राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी श्रीमती पूनम गोयल पत्नी श्री आनन्द गोयल, आदर्श कॉलोनी, सुमेरपुर, जिला- पाली को आदेशित को किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।



6/11/2019  
(गितेश श्री मालवीया)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही